क्रमांक 3461-3 एस-74/12910

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष तथा
(2) आयुक्त, अम्बाला एवं हिसार मंडल,
दिनांक, चण्डीगढ़ 3 जून, 1974

विषय :—विभागाध्यक्षों (अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को छोड़कर) तथा लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक इंजीनियरों के बारे में।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं और बताऊं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कुछ विभागाध्यक्षों (अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को छोड़कर) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य मंत्री को रिमार्कस लिखने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं तथा कुछ की नहीं। मुख्य मंत्री सभी विभागाध्यक्षों के कार्य के बारे में काफी हद तक सीधा ज्ञान रखते हैं। विभिन्न विभागों के मामले समय समय पर उन्हें नियमानुसार प्रस्तुत किये जाते रहते हैं तथा फील्ड में भी विभागाध्यक्षों द्वारा किया जा रहा कार्य मुख्य मंत्री के ध्यान में होता है। साधारणतः विभागाध्यक्षों की रिपोर्टें सरकार के प्रशासकीय सचिव द्वारा initiate की जाती हैं और विभाग के सम्बन्धित मंत्री द्वारा review की जाती है। इस संबंध में विचार कर अब सरकार ने फैसला किया है कि सभी विभागाध्यक्षों की गोपनीय रिपोर्टें मुख्य मंत्री को accepting authority के तौर पर प्रस्तुत की जाया करें।

2. सरकार ने यह भी फैसला किया है कि लोक निर्माण विभाग के सभी अधीक्षक इंजीनियरों की रिपोर्ट भविष्य में मुख्य मंत्री को रिमार्कस रिकार्ड करने के लिए प्रस्तुत की जाया करें। कृपया इन हिदायतों को अनुपालना के लिए नोट कर लिया जाए तथा इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,
हस्ताक्षर
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. वित्तायुक्त राजस्व तथा
2. हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव।

अशा० क्रमांक 3461-3 एस-74/ दिनांक चण्डीगढ़ 31 मई, 1974/3-6-74

एक एक प्रति मुख्य मन्त्री/मन्त्रियों/राज्य मन्त्रियों के प्रधान सचिव, सचिव तथा निजी सचिवों को मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीगण की सूचना के लिए भेजी जाती है।

सेवा में

मुख्य मन्त्री/मन्त्रियों/राज्य मन्त्रियों के
प्रधान सचिव[सचिवों/निजी सचिवों।

अशा: क्रमांक 3461-3-एस-74 दिनांक चण्डीगढ़ 31 मई 1974/3-6-74